संख्या:55/2020/2014/12-2-2020-14/16 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन1

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर, 2020

विषय: फसल अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ कम्पोस्ट खाद तैयार किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विभिन्न जनपदों में फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं का परीक्षण कराने पर यह प्रकाश में आया है कि कई घटनाओं में किसान द्वारा धान की पराली या अन्य फसल अवशेष खेतों में एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है तथा उनके निस्तारण की सुविधा न उपलब्ध हो पाने के कारण उसमें आग लगायी जा रही है।

इस सम्बन्ध में धान की पराली को इकट्ठा कराकर गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश पूर्ववत् मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त धान की पराली का इन-सीटू प्रबंधन कर कृषक के खेत में तथा सामुदायिक तौर पर कम्पोस्ट बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए किसान के खेत में अथवा सामुदायिक स्थलों पर उचित क्षमता वाले कम्पोस्ट खाद के गड्ढे का खुदान कराया जाना उचित होगा। कम्पोस्ट खाद के गड्ढे का खुदान पराली/नरई/पताई को उखाडने, उसको उठाकर लाने व गड्ढे में डालने तथा अन्य सामग्री मद का वहन शत-प्रतिशत मनरेगा से किया जा सकता है। इस प्रकार का अभिनव प्रयोग गत वर्ष जनपद पीलीभीत में सफलतापूर्वक किया गया था और इसे अन्य जनपदों में भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

गड्ढे में पराली डालने के उपरान्त इस पर बायो डिकम्पोजर द्वारा तैयार कल्चर का छिडकाव किया जाय। यह छिडकाव गड्ढे में एकत्रित पराली पर 3-4 दिनों के अंतराल पर कई बार किया जायेगा। इससे कम्पोस्ट खाद तैयार हो जायेगी तथा इस कम्पोस्ट खाद का प्रयोग गेहूँ की फसल लेने के दौरान किया जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर गेहूँ के पैदावार में वृद्धि होगी तथा रासायनिक खादों पर निर्भरता भी कम होगी।

सामुदायिक परियोजनाओं में ट्रैक्टर ट्राली से पराली/नरई/पताई के ढुलान का व्यय राज्य वित्त/14वॉ वित्त की धनराशि से अभिसरित करते हुए मनरेगा योजना से किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा वर्ष 2019 में किए गए प्रयोग के अनुसार एक कम्पोस्ट गड्ढे को तैयार करने पर आने वाला अनुमानित व्यय का विवरण संलग्न है।

संबंधित जिला/मुख्य विकास अधिकारी उक्त व्यवस्था में और सुधार भी कर सकते हैं। इस प्रकार मनरेगा व वित्त आयोग के अंश का प्रयोग कर Low cost व प्रभावी प्रबंधन होगा, कृषकों को जैविक खाद की भी उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

उक्त के क्रम में धान की पराली, गेहूँ की नरई एवं गन्ने की पताई के प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लग सके।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:55/2020/ 2014(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

व्यक्तिगत परियोजनायें (1-एकड हेतु) मॉडल आगणन

क्र0 सं0	मद	आगणन के अनुसार लागत रू0 में		
		श्रमांश	सामग्री	योग
1	धान की पराली प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण	3094.00	30.00	3124.00
2	गन्ने की पताई प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2002.00	30.00	2032.00
3	गेहूँ की नरई प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण	3094.00	30.00	3124.00

समुदायिक परियोजना (3-एकड हेतु) मॉडल आगणन

क्र0सं0	मद	आगणन के अनुसार लागत (रू0 में)				
		मनरेगा अंश एवं राज्य/14वां वित्त				
		मनरेगा अंश			राज्य वित्त/14वां वित्त अंश (सामग्री)	परियोजना का कुल योग
		श्रमांश	सामग्री	योग		
1	धान की पराली प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण	8554.00	90.00	8644.00	4000.00	12644.00
2	गन्ने की पताई प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण	5278.00	60.00	5338.00	6000.00	11338.00
3	गेहूँ की नरई प्रबंधन हेतु कम्पोस्ट पिट का निर्माण	8554.00	90.00	8644.00	4000.00	12644.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।